[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, अपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार कारपोरेट कार्य मंतालग

अधिसूत्तना

नई दिल्ली, 21/12/2012

का.आ... (अ) — केन्द्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 2 के खंड (39) के अनुसरण में भारत सरकार के तत्कालीन उद्योग मंत्रालय (कंपनी कार्य विभाग) की भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में तारीख 21 दिसम्बर, 1989 को प्रकाशित अधिसूचना सं. सा.का.नि. 1060(अ) में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में प्रविष्टि' 22 के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि' अंत स्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

" 23. एमसीएक्स स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड ।"

[फा.सं.3/2/2012-सीएल-V]

्री हो कि प्रियोद (रणुको कुमार) संयुक्त सचिव, भारत संरकार

टिप्पण - मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि.सं. 1060(अ) तारीख 21 दिसम्बर, 1989 द्वारा प्रकाशित की गई थी और तत्पध्वात् निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा संशोधित की गई थी :-

- 1. का आ ४०६(अ) तारीख २४ मई, 1990 ;
- 2. का.आ ३४३(अ) तारीख ३१ गई, 1993 ;
- 3. का.आ 174(अ) तारीख 15 फरवरी, 1994 ; और
- 4. का.आ ६३८(अ) तारीख 14 जुलाई, 1995 ।

[TO BE PUBLISHED IN THE GAZATTE OF INDIA, EXTRAORDINARY, PART II, SECTION-3, SUB-SECTION (ii)]

Government of India Ministry of Corporate Affairs

Notification

New Delhi, Dated. 21/12..., 2012

S.O...............(E) – In pursuance of clause (39) of section 2 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Industry (Department of Company Affairs) number G.S.R. 1060 (E), published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) dated 21st December, 1989, namely:-

In the said notification, after entry 22, the following entry shall be inserted namely:-

"23. MCX Stock Exchange Limited."

[F. No.3/2/2012-CL-V]

(Renuka Kumar)
Joint Secretary to the Government of India

Note: - The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 1060 (E), dated 21st December, 1989 and subsequently amended vide the following notifications:-

- 1. S.O. 406 (E) dated the 24th May, 1990;
- 2. S.O. 343 (E) dated the 31st May, 1993;
- 3. S.O. 174 (E) dated the 15th February, 1994 and
- 4. S.O. 638 (E) dated the 14th July, 1995.